न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—33 / 2024 राजस्व वाद

उनवान

1. विनोद जाट पुत्र स्व0 माधु लाल जाट जाति जाट आयु 22 वर्ष निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रतन लाल पुत्र स्व0 माधु लाल जाट जाति जाट आयु 22 वर्ष निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सम्पती पुत्री स्व0 माधु लाल जाट जाति जाट आयु 22 वर्ष निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गीता पत्नी स्व0 माधु लाल जाट जाति जाट आयु 22 वर्ष निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. शंकर पुत्र भागीरथ जाट आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्थी

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

1. अधिवक्ता वादी श्री पृथ्वीराज चौधरी
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 कन्हैयालाल सेन
3. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

दिनांकः—06.03.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौहान द्वारा दिनांक 04.04.2024 को अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को रजिस्टर क्रम संख्या 33 / 2024 पर दर्ज किया गया। वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि :— ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 264 में आराजी संख्या 42 रकबा 0.3920 हैक्टयर, खाता संख्या 265 में आराजी संख्या 1000 / 48, 48, 50 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्टयर, खाता संख्या 259 में आराजी संख्या 151, 56, 594, 60, 88 कुल किता 05 कुल रकबा 0.1390 हैक्टयर, खाता संख्या 171 में आराजी संख्या 43 रकबा 0.7713 हैक्टयर, खाता संख्या 218 में आराजी संख्या 1001 / 154, 152, 153, 154 / 1, 44 / 1, 47 / 1, 520, 55, 58, 59, 64, 82, 86, 90, 999 / 47 कुल किता 15 कुल रकबा 3.3509 हैक्टयर भूमि स्थित है।

उक्त वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है। वादी का बोलता नाम मदन जाट है। वादी को बोलता नाम मदन जाट होने से उक्त भूमि के विरासत के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 271 निर्णय दिनांक 01.11.2001 में राजस्व रेकार्ड में मदन जाट अंकित हो गया। जबकि वादी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्कूल रेकार्ड, मार्कशीट आदि दस्तावेजात में वादी का नाम विनोद जाट अंकित है। विनोद जाट एवं मदन जाट दोनो एक ही व्यक्ति है। माधु लाल जी जाट के विनोद जाट व मदन जाट नाम के अलग—अलग लड़के नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 जो कि वादी के भाई—बहिन व माता है व प्रतिवादी संख्या 04 जो कि वादी का काका है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 264 में आराजी संख्या 42 रकबा 0.3920 हैक्टयर, खाता संख्या 265 में आराजी संख्या 1000/48, 48, 50 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्टयर, खाता संख्या 259 में आराजी संख्या 151, 56, 594, 60, 88 कुल किता 05 कुल रकबा 0.1390 हैक्टयर, खाता संख्या 171 में आराजी संख्या 43 रकबा 0.7713 हैक्टयर, खाता संख्या 218 में आराजी संख्या 1001/154, 152, 153, 154/1, 44/1, 47/1, 520, 55, 58, 59, 64, 82, 86, 90, 999/47 कुल किता 15 कुल रकबा 3.3509 हैक्टयर आराजियात में वादी का बोलता नाम मदन जाट पुत्र माधु लाल जाट अंकित होने से वादी के वैध हक अधिकारों का हनन हो रहा है व सरकारी सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। मदन लाल जाट पुत्र माधु लाल जाट एवं विनोद जाट पुत्र माधु लाल जाट दोनो एक ही व्यक्ति है।

वादी को माह जनवरी 2024 में पटवार हल्का से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम विनोद जाट के बजाय मदन जाट दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर वादी प्रतिवादी संख्या 05 के समक्ष कई बार उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, दिनांक 09.02.2024 को प्रतिवादी संख्या 05 के पास जाने व दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 05 साफ तौर इंकार हो गया व प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी, जिससे यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम विनोद जाट के बजाय मदन जाट होने से वादी के वैध हक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस कारण से ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 264 में आराजी संख्या 42 रकबा 0.3920 हैक्टयर, खाता संख्या 265 में आराजी संख्या 1000/48, 48, 50 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्टयर, खाता संख्या 259 में आराजी संख्या 151, 56, 594, 60, 88 कुल किता 05 कुल रकबा 0. 1390 हैक्टयर, खाता संख्या 171 में आराजी संख्या 43 रकबा 0.7713 हैक्टयर, खाता संख्या 218 में आराजी संख्या 1001/154, 152, 153, 154/1, 44/1, 47/1, 520, 55, 58, 59, 64, 82, 86, 90, 999/47 कुल किता 15 कुल रकबा 3.3509 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम मदन जाट पुत्र माधु लाल जाट के बजाय विनोद जाट पुत्र माधु लाल जाट दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस हेतु तदनुसार घौषणात्मक डिक्री का वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से दिनांक 05.12.2024 को अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल सेन की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से दिनांक 05.12.2024 को इकनालिया जवाब प्रस्तुत करते हुए राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा स्वीकार किया गया कि वादग्रस्त भूमि आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की पुश्तैनी भूमि है। वादी का बोलता नाम मदन जाट है। वादी का बोलता नाम मदन जाट होने से उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में मदन जाट अंकित हो गया। जबकि वादी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्कूल रेकार्ड मार्कशीट आदि दस्तावेजात मे वादी का नाम विनोद जाट अंकित है। विनोद जाट एवं मदन जाट दोनों एक ही व्यक्ति है। माधु लाल जी जाट के विनोद जाट व मदन जाट नाम के अलग-अलग लड़के नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 जो कि वादी के भाई-बहिन व माता है व प्रतिवादी संख्या 04 जो कि वादी का काका है। इस कारण से राजस्व रेकार्ड में वादी का बोलता नाम मदन जाट पुत्र माधु लाल जाट के बजाय विनोद जाट पुत्र माधु लाल जाट दर्ज कर दिये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर वादपत्र का जवाब दिए जाने के स्थान पर सीधे बहस की गई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता तथा पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है जो वादी के दादा भागीरथ पिता उदा जाति जाट की मृत्यु होने पर तथा वादी के दादा भागीरथ पिता उदा जाट की मृत्यु होने से पूर्व ही वादी के पिता माधु पिता भागीरथ की मृत्यु होने से दर्ज नामान्तरण संख्या 271 निर्णय दिनांक 01.11. 2001 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। जिस समय नामान्तरण संख्या 271 दर्ज रजिस्टर किया गया तत्समय पड़ोसी खातेदारों द्वारा मज्मेआम में वादी का बोलता नाम मदन जाट बता दिया गया। जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का बोलता नाम मदन जाट दर्ज हो गया। जबकि समस्त राजकीय दस्तावेजों में वादी का नाम विनोद जाट पिता माधुलाल जाट दर्ज रिकॉर्ड है। अतः राजकीय दस्तावेजों में दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन फरमाया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र की ताहीद की और वादी का राजकीय दस्तावेजों में दर्ज नाम के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम मदन जाट के स्थान पर विनोद जाट करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई। पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि चुंकि वादी का नाम जरिये विरासत दर्ज हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को वादी के नाम संशोधन में किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादी के निकटतम रिश्तेदार है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मदन जाट के स्थान पर विनोद जाट पुत्र माधु लाल जाट दर्ज किया जाता है तो कोई आपति नहीं है।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन गया । पत्रावली के अवलोकन तथा बहस के मनन एवं चिंतन उपरान्त हम यह उचित समझते है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 264 में आराजी संख्या 42 रकबा 0.3920 हैक्टयर, खाता संख्या 265 में आराजी संख्या 1000/48, 48, 50 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्टयर, खाता संख्या 259 में आराजी संख्या 151, 56, 594, 60, 88 कुल किता 05 कुल रकबा 0.1390 हैक्टयर, खाता संख्या 171 में आराजी संख्या 43 रकबा 0.7713 हैक्टयर, खाता संख्या 218 में आराजी संख्या 1001/154, 152, 153, 154/1, 44/1, 47/1, 520, 55, 58, 59, 64, 82, 86, 90, 999/47 कुल किता 15 कुल रकबा 3.3509 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मदन जाट पुत्र माधुलाल जाट के स्थान पर विनोद जाट पुत्र माधु लाल जाट दर्ज किया जाना उचित है।

–:आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 264 में आराजी संख्या 42 रकबा 0.3920 हैक्टयर, खाता संख्या 265 में आराजी संख्या 1000/48, 48, 50 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्टयर, खाता संख्या 259 में आराजी संख्या 151, 56, 594, 60, 88 कुल किता 05 कुल रकबा 0.1390 हैक्टयर, खाता संख्या 171 में आराजी संख्या 43 रकबा 0.7713 हैक्टयर, खाता संख्या 218 में आराजी संख्या 1001/154, 152, 153, 154/1, 44/1, 47/1, 520, 55, 58, 59, 64, 82, 86, 90, 999/47 कुल किता 15 कुल रकबा 3.3509 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मदन जाट पुत्र माधुलाल जाट के स्थान पर विनोद जाट पुत्र माधुलाल जाट दर्ज किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
6/3/25
(अ... जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. विनोद जाट पुत्र स्व0 माधु लाल जाट जाति जाट आयु 22 वर्ष निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रतन लाल पुत्र स्व0 माधु लाल जाट जाति जाट आयु 22 वर्ष निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सम्पती पुत्री स्व0 माधु लाल जाट जाति जाट आयु 22 वर्ष निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गीता पत्नी स्व0 माधु लाल जाट जाति जाट आयु 22 वर्ष निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. शंकर पुत्र भागीरथ जाट आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्थी
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 33/2024 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल सेन उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित– इस वाद में आज तारीख 06.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर. ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 264 में आराजी संख्या 42 रकबा 0.3920 हैक्टयर, खाता संख्या 265 में आराजी संख्या 1000/48, 48, 50 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्टयर, खाता संख्या 259 में आराजी संख्या 151, 56, 594, 60, 88 कुल किता 05 कुल रकबा 0.1390 हैक्टयर, खाता संख्या 171 में आराजी संख्या 43 रकबा 0.7713 हैक्टयर, खाता संख्या 218 में आराजी संख्या 1001/154, 152, 153, 154/1, 44/1, 47/1, 520, 55, 58, 59, 64, 82, 86, 90, 999/47 कुल किता 15 कुल रकबा 3.3509 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मदन जाट पुत्र माधु लाल जाट के स्थान पर विनोद जाट पुत्र माधु लाल जाट दर्ज किया जावे।

6/3/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
–भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा